राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

रामजीलाल / श्यामाराम

तारीख हुक्म	374/2016 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08/1/18	आज यह पत्रावली आदेश हेतु प्रस्तुत हुई। समयाभाव के कारण आज आदेश लिखवाया नही जा सका। अतः पत्रावली आदेश हेतु दिनांक 11/1/2018 को पेश हो।	
11/1/18	आज यह पत्रावली वास्ते आदेश हेतु प्रस्तुत हुई। संक्षिप्त में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि वादी/रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 लगायत 5 की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती, घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा अपना खसरा खानदान अंकित करते हुये इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया गया कि वादी के पूर्वज दुर्गासिंह को साबिका ख.न. 109 मे से आंवटन सलाहकार कमेटी द्वारा दिनांक 24/8/78 को सवा चार बीघा भूमि का ग्राम चतरपुरा मे आंवटन किया गया, जिसका पृथक से बटा नम्बर 109/1 कायम किया गया, जिसका गैर खातेदारी का नामान्तकरण दुर्गासिंह के नाम अंकित हुआ, जिस पर दुर्गासिंह काबिज रहकर काश्त करता रहा। दुर्गासिंह को आंवटीत की गई भूमि साबिक ख.न 109 मिन वाके ग्राम चतरपुरा के रकबे 4 बीघा 5 बिस्वा का बटा नम्बर 109/1 कायम किया गया मगर नक्शा ट्रेस में आंवटीत भूमि का जिस कदर व जिस जगह कब्जा दिया गया, उसके अनुसार तरमीम नही किया गया, जिसके परिणाम-स्वरूप हाल भू-प्रबन्ध की कार्यवाही साबिका रकबे के मुकाबले 0.38 हैक्टयर की भूमि की कमी कर दी गई। उक्त कार्यवाही मे ख.न 253 रकबा 0.52 है०	

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

252/634 रकबा 0.20 हे० कुल किता 2 रकबा 0.72 हैक्टेयर की गैर खातेदारी दर्ज की गई, जबकी इसका कब्जा हाल ख.नं. 252/643 रकबा 0.38 हे० पर भी वक्त आवंटन से अपने जीवनकाल में तथा उसकी मृत्यु के बाद उनके वंशज वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। इस प्रकार हाल सेटलमेन्ट की कार्यवाही मे आराजी मुतनाजा हाल ख नं 252/643 रकबा 0.38 हे० की खातेदारी वादीगण एवं उसके पूर्वज के कब्जे काश्त तथा खातेदारी हक-हकूको के विपरित मनमाने तरीके से दिगर व्यक्तियो के नाम अंकित कर दी गई जिसका लाभ उठाते हुये उनके द्वारा आराजी मुतनाजा का अन्तरण प्रतिवादी सं. 1 के हक में नाजायज रूप से कर दिया, जब की अन्तरणकर्ता तथा प्रतिवादी सं. 1 का आराजी पर कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा। अतः वाद प्रस्तुत कर इस्तदुआ चाही की दुरूस्ती इन्द्राज एवं घोषणा खातेदारी बहक वादीगण एवं बखिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय की प्रदान कि जावे की हाल आराजी ख.नं. 252/643 रकबा 0.38 हे० वाके ग्राम चतरपुरा का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित करवाया जावे तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराया जावे तथा आराजी मुतनाजा की खातेदारी से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हटाया करवाया जावे। उक्त वाद में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तिम डिक्री पारित करते हुये

राजस्व अपील अधिकारी
जयपुर

वादी को ख.नं. 252/643 रकबा 0.38 हे० का खातेदार घोषित किया गया साथ ही ख.नं. 234 के खातेदार सम्पतलाल वगैरह के नाम 0.25 हे० भूमि अधिक होना दर्शाया गया। जिसके विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई। चूंकी अपीलार्थीगण अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नही थे अतः धारा 96 जाब्ता दीवानी के प्रार्थना पत्र के साथ अपील प्रस्तुत की गई, जिसमे अंकित किया कि उन्हे अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार नही बनाया जाकर उन्हे बगैर सुनवाई का अवसर दिये उनकी आराजी कम कर दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील अपीलार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत हुई, जिसमे उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 96 जाब्ता दीवानी स्वीकार किया जाकर उन्हे प्रभावित पक्षकार मानते हुये अपील की स्वीकृति प्रदान की गई। अतः अपील में अभिभाषक पक्षकारान की बहस समायत की गयी।

अभिभाषक अपीलार्थी ने हमारा ध्यान अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद के उनवान की ओर आकर्षित कर निवेदन किया कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 5 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोन्डेन्ट सं. 1 के विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया गया था, जिसमे अपीलार्थी पक्षकार नही बनाये जाने के बावजूद उनके विरुद्ध आदेश किया...

राजस्व अपील अधिकारी जयपुर

के माध्यम से उनकी खातेदारी की आराजीयात में से 0.25 हैक्टेयर आराजी कम कर दी गई, जबकि वाद में वादी द्वारा ख.नं. 253/643 में उनकी आराजी शामिल होना दर्शाया गया था। अभिभाषक अपीलार्थी ने बहस में निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई काउन्टर क्लेम न होने पर भी उन्हें आराजीयात दे दी गई। अभिभाषक अपीलार्थी ने बहस में यह भी निवेदन किया कि साबिका ख.नं. 109 के सभी आवंटीयों को वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त फरमाई जावे।

अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट-2 ने अपनी बहस के प्रारम्भ में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तिम डिक्री पारित की जाने से पूर्व तहसीलदार से रिपोर्ट ली गई, अपीलान्ट को 3 बीघा भूमि आवंटित की गई थी जबकि भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा पर्चा-4 बीघा या अर्थात एक हैक्टेयर का स्वीकार कर दिया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री में कोई त्रुटि नहीं होने से अपील खारिज फरमाई जावे। अभिभाषक अपीलार्थी ने जवाबुल-जवाब में निवेदन किया कि अधीनस्थ

राजस्व अपील अधिकारी जयपुर

न्यायालय द्वारा प्लीडींग के बाहर जाकर अनुतोष दिया गया है जो न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर था। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावे।

हमने बहस अभिभाषक पक्षकारान पर गौर किया एवं पत्रावलीयो का अवलोकन किया। अपीलार्थी की ओर से अपील के साथ नकल जमाबन्दी खतौनी सम्वत् 2071 से 2074 प्रस्तुत की गई है। जिसमे आराजी ख.नं. 234 रकबा 1 हैक्टयर हेतु भैरू पुत्र महादेव को खातेदार काश्तकार दर्शाया गया है, जिसकी मृत्यु के पश्चात नामान्तकरण संख्या 590 के द्वारा प्रश्नगत आराजीयात मे से रामजीलाल उर्फ रामसिंह, जयसिंह पुत्र भैरू 2/5, नाथीकंवर पत्नि भैरू 1/5, सुमेरकंवर, सन्तोषकंवर पुत्रीया भैरू हिस्सा 2/5 का नामान्तकरण स्वीकृत हुआ। अपील के साथ भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी पर्चा भी प्रस्तुत किया गया, जिसमे ख.नं 234 रकबा 1 हैक्टयर का भैरू पुत्र महादेव को कृषक दर्शाया गया है. किन्तु अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा नकल जमाबन्दी सम्वत् 2032 से 2035 प्रस्तुत की गई है। जिसमे भैरू पुत्र महादेव के नाम ख.नं 109 मे से 3 बीघा आराजी दर्ज है एवं नामान्तकरण संख्या 56 की प्रति प्रस्तुत की गई है। जिसकी पृष्ठ पर अंकन है कि " आज यह नामान्तकरण पंचायत की मिटींग [illegible]

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

रामजीलाल / दयाराम

तारीख हुक्म	374/2016 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

हुआ। ख.न. 109 मिन 3 बीघा सिवायचक मे से नियमन कमेटी द्वारा नियमन भैरू पुत्र महादेव कौम दरोगा साकिन देह के नाम नियमन हुआ है। अतः ख.न. 109 मिन 3 बीघा की खातेदारी भैरू पुत्र महादेव के नाम किया जाना मंजूर है।" जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण के पिता भैरू को मिन ख.न. 109 मे से 3 बीघा भूमि आंवटीत हुई थी जो कि 0.75 हैक्टर के बराबर होता है जबकी पर्चा भैरू के नाम 1 हैक्टर का दे दिया गया तदनुसार जमाबन्दी मे भी इन्द्राज 1 हैक्टर हेतु कर दिया गया। अपीलार्थी द्वारा न तो अपील मे न ही बहस के दौरान यह स्पष्ट किया गया कि जब उनके पिता भैरू को मिन ख.न 109 मे से 3 बीघा ही भूमि आंवटीत की गई थी तो उनके नाम 1 हैक्टर की खातेदारी किस प्रकार लग गई। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो उनके खाते की आराजीयात मे से 0.25 हैक्टर आराजी कम की गई है वह आदेश सही प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26/5/2016 यथावत रखे जाते है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 11/1/2018 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर